न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 18 / 2020

1 ओमपाल आयु 60 वर्ष पुत्र हरलाल ।
2 सुरेश कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र रामेश्वर सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
2 दिनेश सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
3 राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
4 भंवर कंवर पत्नी मदनसिंह।
5 विजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह।
6 सुमन कंवर पुत्री मदनसिंह।
7 रेणु कंवर पुत्री मदनसिंह।
8 दर्शन सिंह पुत्र केशरी सिंह।
9 रमेश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।
10 महेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह।
11 श्याम सिंह पुत्र उम्मेद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
12 जय माँ जमवाय माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर दर्शन सिंह पुत्र केसरी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मारिगसर तहसील व जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ आवंटन आदेश कमांक प–1(21)
राजस्व/भू–आंवटन/2012–13/02–04 दिनांक
13.01.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
बाबत जमीन हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 3.24
हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ सरहद मौजा
मारिगसर तहत तहसील व जिला झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश चन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझूनू द्वारा आंवटन कमांक प–1(21) राजस्व/भू–आंवटन/2012–13/02–04 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 161 राजकीय गैर मुमकिन पहाड़ सरहद मौजा मारिगसर का आंवटन उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने आदेश दिनांक 13.01.2016 के द्वारा स्व. हनुमान सिंह तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 12 के हक में किया। उक्त आंवटन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 96 एवं धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2020 को एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन जारी किया गया था। इस अन्तरिम स्थगन के विरूद्व रेस्पोडेंट नरेन्द्र सिंह की और से माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 3764/2020 नरेन्द्र सिंह बनाम ओमपाल सिंह प्रस्तुत की गई। जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 02.11.2020 के निर्णय से विचाराधीन स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2020 को अपास्त किया जाकर इस न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 5 एवं धारा 96 पर निर्णय पारित करने का निर्देश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व ओमपाल सिंह वगैरह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 14776/2020 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक माह में धारा 5 का आवेदन निस्तारित करने का आदेश दिया गया। इस पर उभयपक्ष को धारा 5 एवं धारा 96 पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदकगण ग्रामवासी है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से पहाड़ है और किस्म गैर मुमकिन पहाड़ी है। प्राकृतिक रूप से आवेदकगण के जमीन जैर बहस में हक अधिकार निहित है। इस कारण आवंटन आदेश से आवेदकगण प्रभावित है। आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने के आदेश दिये जावें। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिन तय है। आवेदकगण की आंवटन आदेश की कभी जानकारी नही हुई। दिनांक 03.03.2020 को अनावेदक संख्या 1 से 11 ने गांव में यह कहा कि उन्होनें अनावेदक संख्या 12 के रूप में एक फर्म का गठन किया है और यह कहा कि वे अब जमीन खसरा नम्बर 161 गैर मुमकिन पहाड़ में खनन कार्य करेगें। इस पर आवेदकगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो आंवटन आदेश की जानकारी हुई। इसके बाद दिनांक 06.03.2020 को आवेदकगण ने आंवटन आदेश की प्रति व सम्बंधित प्रकरण व आवश्यक दस्तावेज लेने के लिये आवेदन पत्र पेश किया जो तैयार होकर दिनांक 08.06. 2020 को मिले। इस प्रकार जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। आदेश जैर बहस अवैध व शून्य है। आवेदकगण की अपील में मैरिट है। अवैध व शून्य आदेश जैर बहस को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार आवेदकगण की अपील को किसी कारणवश मियाद बाहर माना जावे तो उस सूरत में आवेदकगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत होने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत किये जाने का आदेश दिया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अबनिशियों वोयड आर्डर को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे आदेश के विरूद्व मियाद लागु नही होती है। खनिज विभाग एवं ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गैर मुमकिन पहाड़ का किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन नही किया जा सकता है। गैर मुमकिन पहाड़ को खुर्द बुर्द करने पर हमारे हक अधिकार प्रभावित होते है। उप पंजियक को इस सम्बंध में दस्तावेज पंजियन का अधिकार नही है। अपीलांट सामान्य ग्रामवासी है किसी संस्था अथवा पार्टी के पदाधिकारी या कर्मचारी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को आवंटन की जानकारी नही हुई। प्रस्तुत प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकार इसी न्यायालय को है। विधि अनुसार न्यायालय को तकनिकी आधार पर निर्णय पारित नही कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए। धारा 5 एवं धारा 96 का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली संख्या 64/2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर नयासर में आदेश पारित किया उस समय पत्रावली संख्या 64/2013 में वर्णित विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से जवाब पेश हो चुका था व ग्राम पंचायत व ग्राम वासीयान व तहसीलदार व पटवारी आदि की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 30.12.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को लिखित में नियमन करने के लिये आवेदन किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत, नोटिस बार्ड ग्राम पंचायत व तहसीलदार झुंझुनू आदि को नोटिस जारी किये गये व नियमानुसार दिनांक 13.01.2016 को आंवटन आदेश पारित किया गया जिसकी सुचना ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, तहसीलदार झुंझुनू आदि को दी गई। इस प्रकार आदेश दिनांक 13.01.2016 की जानकारी अपीलांट्स को शुरू से है। उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज किये गये जिसका नोट जमाबंदी में अंकित किया गया। जमाबंदी आदि इन्द्राजात को राजस्थान सरकार के अपना खाता पोर्टल पर देखा जा सकता है व यह सुविधा इन्टरनेट युक्त मोबाईल पर भी है। इसके बाद विवादित जमीन में से खनन कार्य के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया व राजस्थान राज्य के खनिज विभाग के सक्षम अभियन्ता आदि ने मौका देखकर कार्यवाही कर विवादित जमीन में से 1.313971 हैक्टेयर का लीज विलेख 50 साल की अवधि के लिये दिया जाना स्वीकार किया गया व दिनांक 11.06.2020 को राजस्थान सरकार की ओर से लीज विलेख 50 साल की अवधि के लिये निष्पादित व पंजीबद्व करवाया गया। सीमाकंन पीलर्स का निर्माण खुले आम होता रहा लेकिन खनन कार्य शुरू होने के बाद में अनुचित स्वार्थ की पूर्ति हेतु गलत तथ्य दर्ज कर मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। दिनांक 03.03.2020 के बाबत गलत तथ्य दर्ज किये है। जानबुझकर आधारहीन अपील पेश की गयी है। जो मियाद बाहर है। ग्राम पंचायत व तहसीलदार झुंझुनू के खिलाफ कोई आरोप प्रार्थना पत्र में नहीं लगाये गये व खनन विभाग के अभियन्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। इससे जाहिर है कि अपीलांट को जानकारी होते हुए भी जानबुझकर अपील नहीं की व अपील करने का हक भी नहीं है। आदेश के करीब 4.5 साल बाद मियाद बाहर अपील पेश की गई है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विवादित जमीन के लिये व्यक्तिगत अधिकार होने के सारभुत तत्व भी प्लीड नहीं किये। ग्राम मारिगसर के निवासियों की जनसंख्या काफी है व प्रतिनिधि की हैसियत से कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार सि.प्र.स. की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र व अपील पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत अपील के रेस्पोडेंटस में से अपील संख्या 192/2020 में भी रेस्पोडेंट है। इस प्रकार एक ही आदेश के खिलाफ दो अपील पेश की गई है इससे जाहिर होता है कि अपीलांट्स का कथन सद्भावना पूर्वक नहीं है व अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अस्पष्ट व अपूर्ण है। प्रार्थना पत्र में यह दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प [illegible])

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नहीं किया गया कि किस कानून के तहत अपीलांट्स के क्या अधिकार है। यह भी दर्ज नहीं किया गया कि अपीलांट्स को किस किस कानून के तहत कैसे व क्या हक मिले। यह भी दर्ज नही किया गया कि अपीलांट्स किस प्रकार से प्रभावित होते है। अपीलांट्स आदेश जैर बहस से प्रभावित नहीं होते है। इस कारण अपीलांट्स को अपील की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। विवादित जमीन कभी भी सार्वजनिक उपयोग की नहीं रही इस कारण ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है व ग्राम पंचायत ने कभी भी आपत्ति नहीं की जबकि ग्राम पंचायत को सुचना दी गई थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू ने विवादित जमीन को सार्वजनिक उपयोग की होना नहीं बताया बल्कि इस पहाड़ पर बने गढ़ व मकानात व क्षेत्र को तत्कालीन ठिकाने के समय से जागीरदारान की होना माना इस प्रकार स्थानीय निवासियों व राजस्थान सरकार की ओर से पहले कभी विवादित जमीन के लिये कार्यवाही नहीं की गई। विवादित गैर मुमकिन पहाड़ ठिकाने के समय व ठिकाना खालसा होने के बाद में कभी भी राजस्व रिकार्ड में गोचर भूमि दर्ज नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट्स/आवेदकगण आदेश से प्रभावित नहीं होते है। ग्राम मारीगसर के ग्रामवासियों की जनसंख्या करीब 1500 से अधिक व्यक्तियों की है। ग्राम मारीगसर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 174, खसरा नम्बर 175, खसरा नम्बर 176, खसरा नम्बर 203, खसरा नम्बर 260 है। इस आबादी भूमि में ग्रामवासियों के कुये भी निर्मित है। यह आबादी भूमि विवादित जमीन से दूर है। ग्राम मारीगसर की सरहद में आबादी भूमि के नजदीक ही जमीन खसरा नम्बर 187 रकबा 3.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 1.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 49.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 20.3500 हैक्टेयर कुल रकबा 75.1100 हैक्टेयर है जो ग्राम वासियान मारीगसर की गोचर भूमि है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व जानबुझकर इस राजस्व रिकार्ड को अपीलांट/आवेदकगण ने छुपाया है। ग्राम मारीगसर तत्कालीन ठिकाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मण्ड्रेला के तहत का राजस्व ग्राम था व ठिकाना मण्ड्रेला के अन्य जागीरदारान के अलावा जसवंतसिंह भी जागीरदार थे व जसंवतसिंह का लड़का मूलसिंह भी जागीरदार था जो मय परिवार गत खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा पर आबाद था व गढ़ में रिहायशी मकानात थे व है। उक्त जागीरदार मूलसिंह का लड़का केशरीसिंह था व केशरीसिंह के लड़के रेस्पोडेंट, दर्शनसिंह व उम्मेदसिंह, हनुमानसिंह व मदनसिंह हुये थे। जागीर खालसा होने के बाद मूलसिंह ने जमीन खसरा नम्बर 81 गत खसरा नम्बर 48, गत खसरा नम्बर 74, खसरा नम्बर 80, गत खसरा नम्बर 73 व गत खसरा नम्बर 75 वाके ग्राम मारीगसर को अपनी निजि कृषि भूमि खुद काश्त की होना दर्ज कर खसरा नम्बर 82 को अपनी निजी सम्पति निवास स्थान होना दर्ज कर डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू को नियमानुसार मुआवजा आदि के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया व जांच हुई व डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने अपने निर्णय में जागीरदार मूलसिंह का वारिस केशरीसिंह को होना माना। इस प्रकार विवादित गैर मुमकिन पहाड़ रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के पूर्वजों के समय से स्वामित्व व कब्जे का रहा है। जमीन गत खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 161 रकबा 3.2400 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 498/161 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 499/161 रकबा 1.9200 हैक्टेयर वाके ग्राम मारीगसर है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने पृथ्वीसिंह, प्रतापसिंह, मानसिंह के खिलाफ रूपये प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त की जिसकी इजरा में उक्त बैंक ने उक्त गैर मुमकीन पहाड़ खसरा नम्बर 82 व उस पर निर्मित गढ़ को कुर्क करवा दिया। जिस पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 9 के पूर्वज ने निम्न दावा किया है न्यायालय मुंसिफ जज झुंझुनू केशरीसिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर दावा संख्या 49/1975 उक्त दावा में दिनांक 03.02.1983 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसमें पहाड़ी पर स्थित गढ़ व मकानात का स्वामित्व केशरीसिंह का घोषित किया गया व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जारी की गयी। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.1983 को अपास्त करवाने के लिये निम्न अपील पेश हुई। न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाम केशरीसिंह आदि अपील संख्या 05/1983 इस अपील में न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू ने दिनांक 17.12.1988 को निर्णय पारित अपील खारिज कर दी व दावा संख्या 49/1975 में पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 9 के पूर्वज केशरीसिंह को ग्राम मारिगसर की जागीर का उतराधिकारी आदेश दिनांक 14.03.1969 से घोषित किया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पहाड़ व गढ़ का स्वामित्व की घोषणा निर्णय व डिक्री से कर दी व डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने जागीरदार मानकर नियमानुसार आदेश पारित किये। उक्त निर्णय व डिक्री व आदेश ग्राम वासीयान मारीगसर के लिये बाध्यकारी है। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू में राजकीय खाते से दुरूस्त करवाने के लिये पत्रावली संख्या 64/2013 चली जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को कार्यवाही के लिये प्रेषित की गयी। इस पत्रावली में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू व ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम पंचायत व मारिगसर के निवासी राजस्व कैम्प में उपस्थित हुये। जिसमें तहसीलदार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि कदीमी गढ़ है व आबाद रहे है व दिनांक 01.07.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने नियमन के योग्य मानकर कमेटी के समक्ष रखने का आदेश पारित किया। इस पत्रावली में राजस्थान सरकार अनावेदक थी। इसके बाद तहसीलदार झुंझुनू ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में नियमन के लिये आवेदन किया। दिनांक 13.01.2016 को नियमानुसार आंवटन आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी तहसीलदार झुंझुनू ग्राम पंचायत आदि को थी। आदेश पारित करने से पूर्व अधिसूचना जारी की जो न्यायालय के नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी व तहसीलदार को प्रेषित की गयी। कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त आदेश पारित किया गया। जिसकी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जानकारी ग्राम वासीयान को शुरू से है क्योंकि आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज किये गये। राजस्थान सरकार की ओर से अधिकृत खनिज अभियन्ता ने दिनांक 11.06.2020 को 1.313971 है॰ जमीन खसरा नम्बर 498/161 में से 50 साल की अवधि के लिये लीज पर दी गई। इससे पूर्व की गयी कार्यवाही की पालना में राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत आदि को सुचित किया गया। लेकिन कोई हक न होने से आपत्ति नहीं की गयी। लीज धारक मैसर्स फर्म जय मां जमुवाय माईन्स एण्ड मिनरल्स ने आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार खनन आरम्भ कर रखा है। जिसके मशीन व निर्माण आदि में काफी खर्चा हो गया। इस पर अवैध स्वार्थ के वशिभूत होकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 9 ने आपसी सहमती से व्यापार के लिये मैसर्स फर्म जय मां जमुवाय माईन्स एण्ड मिनरल्स मारिगसर का गठन कर रजिस्टार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड करवाकर इसके साझेदार रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 व 8 व 9 आदि बनाये गये। इससे मालिकानार हक भूमि परिवर्तन नहीं होता। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में वर वक्त बहस फर्द के साथ फोटो कापी आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर 12.01.2021, फोटो कापी राजस्व मण्डल अजमेर 02.11.2020, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी सीमांकन रिपोर्ट 15.05.2019, फोटो कापी नक्शा सन 1992–93, फोटो कापी सीमाकन सत्यापन रिपोर्ट खनिज अभियन्ता मय नक्शा 04.06.2020, फोटो कापी प्रार्थना पत्र माईनिंग लीज, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी आदेश खनिज अभियन्ता 19.03.2020, फोटो कापी लीज डीड, फोटो कापी प्रार्थना पत्र केसरीसिंह बाबत उतराााधिकारी 13.03.1969, फोटो कापी आदेश उतराधिकारी 13.03.1969, फोटो कापी दर उतराधिकारी 16.08.1968, फोटो कापी आदेश 13.03.1969, फोटो कापी नोटिस बाबत उतराधिकारी केसरीसिंह, फोटो कापी नोटिस बाबत उतराधिकारी मूलसिंह, फोटो कापी दैनिक अखबार, फोटो कापी निर्णय जिला न्यायाधीश झुंझुनू 17.12.1988,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

फोटो कापी दावा 15.05.1975, फोटो कापी निर्णय 03.02.1983, फोटो कापी डिक्री 03.02.1983, फोटो कापी फार्म नम्बर 5 जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी फार्म नम्बर 7 जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी जांच फार्म जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी आदेशिका जिला कलेक्टर 04.04.2013 से 01.02.2015, फोटो कापी आवेदन 136 तारिख 20.03.2013, फोटो कापी निर्णय जिला कलेक्टर 01.07.2015,फोटो कापी रिपोर्ट पटवारी 15.07.2014, फोटो कापी आंवटन आदेश 13.01.2016, फोटो कापी रिपोर्ट तहसीलदार 30.12.2015, फोटो कापी प्रार्थना पत्र नियमन कमेटी आहुत करने बाबत 28.02.2015, फोटो कापी अधिसूचना उपखण्ड अधिकारी चूरू 08.01.2016, फोटो कापी तहरीरी जमाबंदी पत्रावली 25.02.2020, फोटो कापी आदेश उप जिलाधीश जागीर झुंझुनू, फोटो कापी नक्शा सन 1992–93, फोटो कापी नक्शा सन 1935–36, फोटो कापी खतोनी संवत 2059 से 2079, फोटो कापी मिसल सं. 1999, फोटो कापी सूची काश्त व खुद काश्त मूलसिंह, फोटो कापी फेरिस्त कागजात दावा, फोटो कापी खुद काश्त जागीर मूलसिंह गढ़ व पहाड़, फोटो कापी नक्शा गढ़ मय पहाड़, फोटो कापी नक्शा गढ़ मय पहाड़ जागीर मूलसिंह, फोटो कापी आदेश डिक्री कलेक्टर जागीर झुंझुनू 14.11.1963, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फाटो पहाड़, फोटो पहाड़ प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2020 पेज 681, आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 163, डी.एन.जे. 2020 (3)(एस.सी) पेज 993, आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 1078, ए.आई.आर. 1998 राजस्थान पेज 108, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 943, आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 318,378, डी. एन.जे. 2014 (3) (राजस्थान) पेज 1271, ए.आई.आर. 1991 बोम्बे पेज 119 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा वर वक्त बहस फर्द के साथ फोटो कापी आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर 12.01.2021,

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

फोटो कापी राजस्व मण्डल अजमेर 02.11.2020, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी सीमांकन रिपोर्ट 15.05.2019, फोटो कापी नक्शा सन 1992–93, फोटो कापी सीमाकन सत्यापन रिपोर्ट खनिज अभियन्ता मय नक्शा 04.06.2020, फोटो कापी प्रार्थना पत्र माईनिंग लीज, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी आदेश खनिज अभियन्ता 19.03. 2020, फोटो कापी लीज डीड, फोटो कापी प्रार्थना पत्र केसरीसिंह बाबत उतराााधिकारी 13.03.1969, फोटो कापी आदेश उतराधिकारी 13.03.1969, फोटो कापी दर उतराधिकारी 16.08.1968, फोटो कापी आदेश 13.03.1969, फोटो कापी नोटिस बाबत उतराधिकारी केसरीसिंह, फोटो कापी नोटिस बाबत उतराधिकारी मूलसिंह, फोटो कापी दैनिक अखबार, फोटो कापी निर्णय जिला न्यायााधीश झुंझुनू 17.12.1988, फोटो कापी दावा 15.05.1975, फोटो कापी निर्णय 03.02.1983, फोटो कापी डिक्री 03.02.1983, फोटो कापी फार्म नम्बर 5 जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी फार्म नम्बर 7 जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी जांच फार्म जागीरदार मूलसिंह, फोटो कापी आदेशिका जिला कलेक्टर 04.04.2013 से 01.02.2015, फोटो कापी आवेदन 136 तारिख 20.03.2013, फोटो कापी निर्णय जिला कलेक्टर 01.07.2015,फोटो कापी रिपोर्ट पटवारी 15. 07.2014, फोटो कापी आंवटन आदेश 13.01.2016, फोटो कापी रिपोर्ट तहसीलदार 30.12.2015, फोटो कापी प्रार्थना पत्र नियमन कमेटी आहुत करने बाबत 28.02.2015, फोटो कापी अधिसूचना उपखण्ड अधिकारी चूरू 08.01. 2016, फोटो कापी तहरीरी जमाबंदी पत्रावली 25.02.2020, फोटो कापी आदेश उप जिलाधीश जागीर झुंझुनू, फोटो कापी नक्शा सन 1992–93, फोटो कापी नक्शा सन 1935–36, फोटो कापी खतोनी संवत 2059 से 2079, फोटो कापी मिसल सं. 1999, फोटो कापी सूची काश्त व खुद काश्त मूलसिंह, फोटो कापी फेरिस्त कागजात दावा, फोटो कापी खुद काश्त जागीर मूलसिंह गढ़ व पहाड़, फोटो कापी नक्शा गढ़ मय पहाड़, फोटो कापी नक्शा गढ़ मय पहाड़ जागीर मूलसिंह, फोटो कापी आदेश डिक्री कलेक्टर जागीर झुंझुनू 14.11.1963, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फोटो कापी जमाबंदी संवत 2074 से 2077, फाटो पहाड़, फोटो पहाड़ प्रस्तुत की गई। इनका अवलोकन किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली संख्या 64/2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर नयासर में आदेश पारित किया उस समय पत्रावली संख्या 64/2013 में वर्णित विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से जवाब पेश हो चुका था व ग्राम पंचायत व ग्राम वासीयान व तहसीलदार व पटवारी आदि की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। तहसीलदार झुंझुनू ने दिनांक 30.12.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को लिखित में नियमन करने के लिये आवेदन किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत, नोटिस बार्ड ग्राम पंचायत व तहसीलदार झुंझुनू आदि को नोटिस जारी किये गये व नियमानुसार दिनांक 13.01.2016 को आंवटन आदेश पारित किया गया जिसकी सुचना ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, तहसीलदार झुंझुनू आदि को दी गई। इस प्रकार आदेश दिनांक 13.01.2016 की जानकारी अपीलांट्स को शुरू से है। उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज किये गये जिसका नोट जमाबंदी में अंकित किया गया। जमाबंदी आदि इन्द्राजात को राजस्थान सरकार के अपना खाता पोर्टल पर देखा जा सकता है व यह सुविधा इन्टरनेट युक्त मोबाईल पर भी है। इसके बाद विवादित जमीन में से खनन कार्य के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया व राजस्थान राज्य के खनिज विभाग के समक्ष अभियन्ता आदि ने मौका देखकर कार्यवाही कर विवादित जमीन में से 1.313971 हैक्टेयर का लीज विलेख 50 साल की अवधि के लिये दिया जाना स्वीकार किया गया व दिनांक 11.06.2020 को राजस्थान सरकार की ओर से लीज विलेख 50 साल की अवधि के लिये निष्पादित व पंजीबद्व करवाया गया। सीमाकंन पीलरस का निर्माण खुले आम होता रहा लेकिन खनन कार्य शुरू होने के बाद मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। दिनांक 03.03.2020 के बाबत गलत तथ्य दर्ज किये है। ग्राम पंचायत व तहसीलदार झुंझुनू के खिलाफ कोई आरोप प्रार्थना पत्र में नहीं लगाये गये व खनन विभाग के अभियन्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। इससे जाहिर है कि अपीलांट को जानकारी होते हुए भी जानबुझकर अपील नहीं की गई है। आदेश के करीब 4 1/2 साल बाद मियाद बाहर अपील पेश की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2020 पेज 681 में माननीय उच्च न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

ने अभिनिर्धारित किया है कि" Limitation Act 1963- Section 5- Civil Procedure Code 1908- Section 100- When no proper explanation offered by the Department for the delay of 2 years and 7 months except mentioning of various dates, department has miserably failed to give any acceptable reasons sufficient to condone such a huge delay- Appeals are liable to be dismissed on the ground of delay.

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक धारा 96 के आवेदन का प्रश्न है अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विवादित जमीन के लिये व्यक्तिगत अधिकार होने के सारभुत तत्व भी प्लीड नहीं किये। ग्राम मारिगसर के निवासियों की जनसंख्या काफी है व प्रतिनिधि की हैसियत से कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार सि.प्र.स. की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र व अपील पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत अपील के रेस्पोडेंटस में से अपील संख्या 192/2020 में भी रेस्पोडेंट है। इस प्रकार एक ही आदेश के खिलाफ दो अपील पेश की गई है इससे जाहिर होता है कि अपीलांट्स का कथन सद्भावना पूर्वक नहीं है व अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अस्पष्ट व अपूर्ण है। प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं किया गया कि किस कानून के तहत अपीलांट्स के क्या अधिकार है। यह भी दर्ज नहीं किया गया कि अपीलांट्स को किस किस कानून के तहत कैसे व क्या हक मिले। यह भी दर्ज नही किया गया कि अपीलांट्स किस प्रकार से प्रभावित होते है। इस कारण अपीलांट्स को अपील की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित जमीन कभी भी सार्वजनिक उपयोग की नहीं रही इस कारण ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है व ग्राम पंचायत ने कभी भी आपत्ति नहीं की जबकि ग्राम पंचायत को सुचना दी गई थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू ने विवादित जमीन को सार्वजनिक उपयोग की होना नहीं बताया बल्कि इस पहाड़ पर बने गढ़ व मकानात व क्षेत्र को तत्कालीन ठिकाने के समय से जागीरदारान की होना माना इस प्रकार स्थानीय निवासियों व राजस्थान सरकार की ओर से पहले कभी विवादित जमीन के लिये कार्यवाही नहीं की गई। विवादित गैर मुमकिन पहाड़ ठिकाने के समय व ठिकाना खालसा होने के बाद में कभी भी राजस्व रिकार्ड में गोचर भूमि दर्ज नहीं हुआ है। इस कारण <u>अपीलांट्स/आवेदकगण</u> आदेश से प्रभावित नहीं माना जा सकता है। ग्राम मारीगसर के ग्रामवासियों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जनसंख्या करीब 1500 से अधिक व्यक्तियों की है। ग्राम मारीगसर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 174, खसरा नम्बर 175, खसरा नम्बर 176, खसरा नम्बर 203, खसरा नम्बर 260 है। इस आबादी भूमि में ग्रामवासियों के कुये भी निर्मित है। यह आबादी भूमि विवादित जमीन से दूर है। ग्राम मारीगसर की सरहद में आबादी भूमि के नजदीक ही जमीन खसरा नम्बर 187 रकबा 3.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 1.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0. 4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 49.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 20.3500 हैक्टेयर कुल रकबा 75.1100 हैक्टेयर है जो ग्राम वासियान मारीगसर की गोचर भूमि है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम मारीगसर तत्कालीन ठिकाना मण्ड्रेला के तहत का राजस्व ग्राम था व ठिकाना मण्ड्रेला के अन्य जागीरदारान के अलावा जसवंतसिंह भी जागीरदार थे व जसंवतसिंह का लड़का मूलसिंह भी जागीरदार था जो मय परिवार गत खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा पर आबाद था व गढ़ में रिहायशी मकानात थे व है। उक्त जागीरदार मूलसिंह का लड़का केशरीसिंह था व केशरीसिंह के लड़के रेस्पोडेंट, दर्शनसिंह व उम्मेदसिंह, हनुमानसिंह व मदनसिंह हुये थे। जागीर खालसा होने के बाद मूलसिंह ने जमीन खसरा नम्बर 81 गत खसरा नम्बर 48, गत खसरा नम्बर 74, खसरा नम्बर 80, गत खसरा नम्बर 73 व गत खसरा नम्बर 75 वाके ग्राम मारीगसर को अपनी निजि कृषि भूमि खुद काश्त की होना दर्ज कर खसरा नम्बर 82 को अपनी निजी सम्पति निवास स्थान होना दर्ज कर डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू को नियमानुसार मुआवजा आदि के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया व जांच हुई व डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने अपने निर्णय में जागीरदार मूलसिंह का वारिस केशरीसिंह को होना माना। इस प्रकार विवादित गैर मुमकिन पहाड़ रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के पूर्वजों के समय से स्वामित्व व कब्जे का रहा है। जमीन गत खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 161 रकबा 3.2400 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 498/161 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 499/161 रकबा 1.9200 हैक्टेयर वाके ग्राम मारीगसर है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने पृथ्वीसिंह, प्रतापसिंह, मानसिंह के खिलाफ रूपये प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त की जिसकी इजराय में उक्त बैंक ने उक्त गैर मुमकीन पहाड़ खसरा नम्बर 82 व उस पर निर्मित गढ़ को कुर्क करवा दिया। जिस पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 9 के पूर्वज ने दावा किया न्यायालय मुंसिफ जज झुंझुनू केशरीसिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर दावा संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

49/1975 उक्त दावा में दिनांक 03.02.1983 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसमें पहाड़ी पर स्थित गढ़ व मकानात का स्वामित्व केशरीसिंह का घोषित किया गया व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की गयी। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.1983 को अपास्त करवाने के लिये अपील पेश हुई। न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाम केशरीसिंह आदि अपील संख्या 05/1983 इस अपील में न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू ने दिनांक 17.12.1988 को निर्णय पारित कर अपील खारिज कर दी व दावा संख्या 49/1975 में पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 9 के पूर्वज केशरीसिंह को ग्राम मारिगसर की जागीर का उतराधिकारी आदेश दिनांक 14.03.1969 से घोषित किया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पहाड़ व गढ़ का स्वामित्व की घोषणा निर्णय व डिक्री से कर दी व डिप्टी कलेक्टर जागीर झुंझुनू ने जागीरदार मानकर नियमानुसार आदेश पारित किये। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू में राजकीय खाते से दुरूस्त करवाने के लिये पत्रावली संख्या 64/2013 चली जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को कार्यवाही के लिये प्रेषित की गयी। इस पत्रावली में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार झुंझुनू व ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम पंचायत व मारिगसर के निवासी राजस्व कैम्प में उपस्थित हुये। जिसमें तहसीलदार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि कदीमी गढ़ है व आबाद रहे है व दिनांक 01.07.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने नियमन के योग्य मानकर कमेटी के समक्ष रखने का आदेश पारित किया। इस पत्रावली में राजस्थान सरकार अनावेदक थी। इसके बाद तहसीलदार झुंझुनू ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में नियमन के लिये आवेदन किया। दिनांक 13.01.2016 को नियमानुसार आंवटन आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी तहसीलदार झुंझुनू ग्राम पंचायत आदि को थी। आदेश पारित करने से पूर्व अधिसूचना जारी की जो न्यायालय के नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी व तहसीलदार को प्रेषित की गयी। कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी ग्राम वासीयान को शुरू से है क्योंकि आदेश की पालना में नामान्तकरण दर्ज किये गये। राजस्थान सरकार की ओर से अधिकृत खनिज अभियन्ता ने दिनांक 11.06.2020 को 1.313971 है जमीन खसरा नम्बर 498/161 में से 50 साल की अवधि के लिये लीज पर दी गई। इससे पूर्व की गयी कार्यवाही की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पालना में राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत आदि को सुचित किया गया। उक्त तथ्यों की पुष्टि रेस्पोडेंट द्वारा वर वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 164 में माननीय मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि" Civil Procedure code, 1908- Section 96- For filing appeal under this Section, person must be aggrieved from the order. in this appliacant could not prove how he is aggrieved from the order appealed againt. Whereas for filing an appeal under Section 96 person must be aggrieved from the order. Revision dismissed. इसी प्रकार आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 379 में माननीय मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" Code of Civil Procedure, 1908- Section 96- Permission for filing an appeal cannot be granted to the person who is not aggrieved by the impunged order. in this case, Permission for filling an appeal was granted to the persons who were not aggraived by the order. The permission was granted for filing an appeal against the allotment of Johad Paytan' land. The applicants did not not prated that this land should be allotted to them. When relief of allotment of land to them was not claimed by applicants, they are not the aggrieved persons and permission for filing an appeal cannot be granted to them. Revision accepted.

उपरोक्त विवेचन एंव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 स्वीकार योग्य नही पाये जाते है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर